न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या
33/2021 प्रा0प0

फैसल दिनांक
30.12.2021

उनवान

जगदीशलाल पिता शंकरलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सुखवाडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

.....प्रार्थी

।। बनाम ।।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर

..... विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित– श्री सुरपाल सिंह गौड़ वकील प्रार्थी

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात राजस्व ग्राम सुखवाडा पटवार हल्का सुखवाडा तहसील भदेसर की खाता सं. 187 में दर्ज आराजी नं0 648 रकबा 0.21 हैक्टेयर भूमि दर्ज रेकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित खाते वाली आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियो ने प्रार्थी का नाम जगदीश लाल पिता शंकरलाल धाकड़ के बजाय जगदीश लाल पिता राम लाल धाकड़ अंकित कर दिया जबकि प्रार्थी के पिता का असलीनाम शंकर लाल और यही नाम प्रार्थी के पिता के नाम से जारी आधार कार्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

उक्त खाते वाली आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम शंकरलाल के बजाय रामलाल दर्ज हो जाने से प्रार्थी को कई प्रकार की परेशानियों का सामाना करना पड रहा है। प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओ से वंचित हो रहा है। इसलिये उपरोक्त खाते वाली आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रामलाल के बजाय शंकरलाल अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

यह कि उक्त खाते वाली आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम की त्रुटि दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

यह कि प्रार्थी को उक्त त्रुटि की पूर्व में जानकारी नहीं थी, अभी कुछ अर्सा पहले राजस्व रेकार्ड की नकले लेने पर प्रार्थी को उक्त त्रुटि की जानकारी होने से बिनाय प्रार्थना पत्र पैदा होकर हर रोज हो रही है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रामलाल के बजाय शंकरलाल अंकित जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बरोज पेशी पेरोकार सरकार उपस्थित।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गये।

1. नकल जमाबंदी मौजा सुखवाडा खाता संख्या 187 संवत् 2076
2. नामांतरकरण रजिस्टर की फोटो प्रति मौजा सुखवाडा
3. रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फोटो प्रति दिनांक 12.09.1995

लायक अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी जिन्होनें प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजो एवं वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात में ... अपने पिता का नाम रामलाल के बजाय शंकरलाल ... कायम ... की अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बेगूं, जिला-चित्तौडगढ

Scanned with CamScanner

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया।विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई । प्रस्तुत दस्तावेजो से प्रतीत होता है कि प्रार्थी के पिता का नाम शंकर लाल के बजाय राम लाल कर दिया गया जो शुद्धि योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज मौजा ग्राम सुखवाडा पटवार हल्का सुखवाडा तहसील भदेसर की खाता सं. 187 में दर्ज आराजी नं0 648 रकबा 0.21 हैक्टेयर कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रामलाल के बजाय शंकरलाल शुद्धि से इन्द्राज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरमामद किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भदेसर को पालनार्थ भिजाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner